भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 787

उत्तर देने की तारीख 12 दिसंबर, 2022

सोमवार, 21 अग्रहायण,1944 (शक)

पीएम-युवा

787. डॉ. डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस.: श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले:
डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे: श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे:
डॉ. सुभाष रामराव भामरे: श्री कुलदीप राय शर्मा:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रधानमंत्री युवा उद्यमिता विकास अभियान (पीएम-युवा) योजना शुरू किए जाने के उद्देश्य को प्राप्त कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और योजना को लागू करने के दौरान सरकार को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष में कितने छात्रों को उद्यमिता शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान किया गया है;

(घ) योजना को आरंभ किए जाने के बाद से इस योजना की क्या उपलब्धियां रही हैं;

(ङ) क्या सरकार ने पीएम-युवा का दूसरा चरण भी शुरू किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा कुल कितनी राशि आवंटित की गई है; और

(च) प्रधानमंत्री-युवा योजना को सफल बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री राजीव चंद्रशेखर)

(क) और (ख) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) ने वाधवानी ऑपरेटिंग फाउंडेशन (डब्ल्यूओएफ) के सहयोग से देश भर में उद्यमशीलता शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से उद्यमशीलता विकास के लिए एक सक्षम इकोसिस्टम सृजित करने के उद्देश्य से 9 नवंबर, 2016 को प्रधान मंत्री युवा उद्यमिता विकास अभियान (पीएम-युवा) योजना शुरू की। इसे उच्च शिक्षण संस्थानों (कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, पॉलिटेक्निक) में लागू किया गया था। 26 राज्यों/संघ

राज्य क्षेत्रों में कुल 239 उच्च शिक्षण संस्थानों को सूचीबद्ध किया गया था। हालांकि, एमएसडीई के अंतर्गत कौशल प्रशिक्षण संस्थानों, अर्थात् औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), प्रधान मंत्री कौशल केंद्र (पीएमकेके), पॉलिटेक्निक को शामिल करने के लिए इस स्कीमकी पुनर्संरचना जून 2018 में की गई थी। पीएम-युवा चरण-I के माध्यम से लाभान्वितों की संख्या(राज्य-वार) **अनुबंध-I**में दी गई है।

पीएम-युवा चरण-I से प्राप्त अनुभव के आधार पर, राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान (निस्बड) ने वर्ष 2019 से पीएम-युवा के चरण-II को स्वयं शुरू किया।एमएसडीई ने कौशल इकोसिस्टम के अंतर्गत लगभग 300 संस्थानों में मार्च, 2022 तक 12 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर निस्बड के माध्यम से उद्यमशीलता विकास (पीएम-युवा चरण-II) परियोजना को कार्यान्वित किया। इस प्रायोगिक परियोजना का उद्देश्य एक वैकल्पिक कैरियर विकल्प के रूप में उद्यमशीलता को बढ़ावा देना और कौशल इकोसिस्टम से शिक्षुओं/ लाभार्थियों को उद्यमशीलता शिक्षा और परामर्श सहायता प्रदान करके संभावित और प्रारंभिक चरण के उद्यमियों को परामर्श सहायता प्रदान करना था।यह परियोजना 10 राज्यों और 2संघ राज्य क्षेत्रों (अर्थात् असम, बिहार, केरल, महाराष्ट्र, मेघालय, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली और पुडुचेरी)में उद्यमशीलता विकास, उद्यमशीलता प्रशिक्षण के साथ-साथ परामर्श और मार्गदर्शन में अनुभव रखने वाले संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित की गई थी।

इस स्कीम में 600 नए और 1000 स्केल-अप उद्यमों के निर्माण की परिकल्पना की गई थी, जिनमें से 1045 नए उद्यमों की स्थापना की गई और 968 मौजूदा उद्यमों का स्तर बढ़ाया गया है। इसके अलावा, प्रायोगिक परियोजना के अंतर्गतकिए गए कार्यकलापों का विवरण **अनुबंध-II**में दिया गया है।

इस परियोजना के कार्यान्वयन के दौरान विशेष रूप से कोविड-19 के प्रकोप के कारण विभिन्न चुनौतियों का सामना करने के बावजूद प्रायोगिक परियोजना के उद्देश्यों को प्राप्त किया गया। परियोजना के अंतर्गतशामिल किए गए लाभार्थियों की कुल संख्या का विवरण **अनुबंध-III**में दिया गया है।

(ग) पीएम-युवा प्रायोगिक परियोजना के चरण-II के अंतर्गत, शामिल किए गए लाभार्थियों की कुल संख्या का विवरण **अनुबंध-III**में दिया गया है।

(घ) पीएम-युवा प्रायोगिक परियोजना के चरण-II के अंतर्गतकिए गए कार्यकलापों का विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया है।

(ङ) और (च) उपर्युक्त भाग (क) और (ख) का संदर्भ लें।

अनुबंध-I

'प्रधानमंत्री युवा उद्यमिता विकास अभियान योजना (युवा-पीएम)' के संबंध में 12.12.2022 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 787 के उत्तर के संदर्भ में।

पीएम-युवा चरण-Iके माध्यम से पहुंचने वाले लाभार्थियों की संख्या का विवरण (राज्य-वार)निम्नानुसार है:

क्र.सं.	राज्य का नाम	नामांकित छात्रों की संख्या	छात्र ने अंतिम मूल्यांकन का प्रयास किया	छात्र ने अंतिम मूल्यांकन पास किया
1	आंध्र प्रदेश	295	124	116
2	अरुणाचल प्रदेश	36	14	12
3	असम	440	150	91
4	बिहार	0	0	0
5	दिल्ली	1920	829	655
6	गुजरात	9	1	0
7	हरियाणा	563	473	382
8	हिमाचल प्रदेश	285	42	34
9	जम्मू और कश्मीर	58	0	0
10	झारखंड	35	11	4
11	कर्नाटक	636	299	260
12	केरल	2128	1382	1232
13	मध्य प्रदेश	1357	1158	974
14	महाराष्ट्र	1134	527	329
15	मेघालय	64	26	18
16	नगालैंड	37	0	0
17	ओडिशा	359	79	72
18	पांडिचेरी	246	173	154
19	पंजाब	791	490	412
20	राजस्थान	1050	620	493
21	तमिलनाडु	2874	1432	1084
22	तेलंगाना	1345	551	430
23	उत्तर प्रदेश	773	275	200
24	उत्तराखंड	0	0	0
25	पश्चिम बंगाल	974	527	440
	योग	**17409**	**9183**	**7392**

अनुबंध-II

उद्यमशीलता जागरूकता कार्यक्रम (ईएपी) और सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम (सीएपी)

छात्र अभिविन्यास		सामुदायिक जागरूकता	
सत्रों की संख्या	प्रतिभागी	सत्रों की संख्या	प्रतिभागी
270	34760	59	5003

संकाय प्रशिक्षण (प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टीओटी)), उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) और संकाय संरक्षक प्रशिक्षण (एफएमटी)

टीओटी		ईडीपी			एफएमटी	
सत्रों की संख्या	प्रतिभागी	सत्रों की संख्या	प्रतिभागियों का पंजीकरण	प्रतिभागियों ने ईडीपी पूरा किया	सत्रों की संख्या	प्रतिभागी
17	443	215	17856	13202	9	227

स्थापित/अप-स्केल किए गए उद्यमों की संख्या

नए उद्यम स्थापित किए	उद्यम स्केल-अप
1045	968

परामर्श शिविरों में भाग लेने का विवरण

परामर्श शिविर	
सत्रों की संख्या	प्रतिभागी
108	3951

अनुबंध-III

परियोजना के तहत कवर किए गए लाभार्थियों की कुल संख्या का विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	**गतिविधि**	**पहुंचने वाले लाभार्थी कुल संख्या**
1	प्राचार्यों का उन्मुखीकरण	396
2	उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम (छात्रों का उन्मुखीकरण)	34,760
3	सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम	5,003
4	उद्यमिता विकास कार्यक्रम	17,797
5	प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (संकाय सुविधाप्रदाता प्रशिक्षण)	443
6	फैकल्टी मेंटर ट्रेनिंग	227
7	परामर्श शिविर	3,951
	कुल योग	**62,577**

****